संख्या-04/2024/162/58-2024-1785677

प्रेषक,

विनय कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 10 फरवरी, 2024**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना में भारत सरकार से अवमुक्त केन्द्रांश रू0-1072.50 लाख के सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू0-715.00 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0-1787.50 लाख को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-120/बजट/2023-24, दिनांक 29.01.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र संख्या F.N.18-4/2017-MIDH(E), दिनांक 22.01.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए तृतीय किस्त के रूप में सामान्य श्रेणी हेतु धनराशि रू0-1072.50 लाख केन्द्रांश मद में अवमुक्त की गयी है। इस अवमुक्त केन्द्रांश तथा इसके सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश धनराशि रू0-715.00 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0-1787.50 लाख को अवमुक्त कराये जाने का प्रस्ताव योजनाधिकारी के पत्र दिनांक 25.01.2024 द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसके क्रम में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में रू0-1072.50 लाख एवं राज्यांश मद में रू0-715.00 लाख, इस प्रकार कुल धनराशि रू0-1787.50 लाख को राजस्व मदों में निम्नलिखित विवरण के अनुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखते हुए उक्त धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. निदेशक, उद्यान एवं वित्त नियंत्रक, उद्यान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष जो भी कार्य कराये जायेंगे वो अपने आप में पूर्ण होंगे तथा कोई शासकीय देयता सृजित नहीं होगी।
2. वित्त नियंत्रक, उद्यान द्वारा कोषागार से धनराशि का अंतरण पी.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत एस0एन0ए0 के खाते में अन्तरण किया जायेगा।

3. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति के पूर्व निदेशक, उद्यान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना से आच्छादित केन्द्रांश व राज्यांश की समेकित निधि में जमा है।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

5. प्रस्ताव में ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व वित्त नियंत्रक, उद्यान का होगा।

6. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध् बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह वित्त नियंत्रक का उत्तरदायित्व रहेगा।

7. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

8. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

9. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

11. इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र दिनांक 22.01.2024 एवं अन्य सुसंगत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का होगा।

12. धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

13. इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी स्वीकृतियों से द्विरावृत्ति न हो।

14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

15. लाभार्थी का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये दिशा-निर्देशों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा।

16. लाभार्थी चयन/अनुदान वितरण में अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2401001190101 (राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/रा. 40-के.)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.)	08 कार्यालय व्यय	5,50,000 (रुपये पांच लाख पचास हजार मात्र)
2	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.)	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
3	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.)	18 प्रकाशन	9,00,000 (रुपये नौ लाख मात्र)
4	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.)	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	9,00,000 (रुपये नौ लाख मात्र)
5	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.)	27 सब्सिडी	10,23,33,000 (रुपये दस करोड़ तेईस लाख तैंतीस हजार मात्र)

6	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.)	42 अन्य व्यय	2,22,000 (रुपये दो लाख बाईस हजार मात्र)
7	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	8,45,000 (रुपये आठ लाख पैंतालीस हजार मात्र)
	कुल			**10,72,50,000** **(रुपये दस करोड़ बहत्तर लाख पचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2401001198901 (राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	010	2401001198901 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना	08 कार्यालय व्यय	3,67,000 (रुपये तीन लाख सड़सठ हजार मात्र)
2	010	2401001198901 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
3	010	2401001198901 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना	18 प्रकाशन	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
4	010	2401001198901 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
5	010	2401001198901 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना	27 सब्सिडी	6,82,22,000 (रुपये छह करोड़ बयासी लाख बाईस हजार मात्र)

6	010	2401001198901 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना	42 अन्य व्यय	1,48,000 (रुपये एक लाख अड़तालीस हजार मात्र)
7	010	2401001198901 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5,63,000 (रुपये पांच लाख त्रेसठ हजार मात्र)
	कुल			**7,15,00,000** **(रुपये सात करोड़ पंद्रह लाख मात्र)**

महायोग	17,87,50,000 (रुपये सत्रह करोड़ सतासी लाख पचास हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-**E-1-531-X-2023-24-दिनांक: 8-2-2024** एवं अशासकीय संख्या-**E-1-524-X-2023-24-दिनांक:8-2-2024** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

//shasan

संख्या- 04 /2024/162(1)/58-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सहायक आयुक्त, भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली को भारत सरकार के पत्र सं0- F.N0.18-4/2017-MIDH(E) दिनांक 22.01.2024 के संदर्भ में।

2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

3- महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

4- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक

6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। द्वारा-निदेशक

7- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक

8- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक

9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

https://shasanadesh.